# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला–टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 28 / 2012 निर्णय दिनांक :– 02.09.2022

उनवानी दावा :

1. लाला पुत्र जवाना जाति गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी
2. ~~लक्ष्मणलाल पुत्र जवाना जाति गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी~~ {मृतक}

2/1. हीरा देवी पत्नी लक्ष्मणलाल जाति गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी
2/2. अरविन्द पुत्र लक्ष्मणलाल जाति गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी
2/3. विमलेश पुत्री लक्ष्मणलाल जाति गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक

–वादीगण–

**बनाम**

1. किस्तुरी पत्नी स्व. किशना जाति गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक
2. पृथ्वीराज पुत्र स्व. किशना जाति गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक
3. प्रकाश पुत्र स्व. किशना जाति गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक
4. राजाराम पुत्र स्व. किशना जाति गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक
5. तहसीलदार देवली / दूनी जिला टोंक

– प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–
श्री आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता वादी

एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 व 4
राजीनामा प्रतिवादी संख्या 3

दावा बाबत उद्घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

–:निर्णयः–

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली माननीय न्यायालय आर. ए. ए. टोंक ने न्यायालय हाजा का आदेश दिनांक 08.06.2012 को निरस्त करते हुए इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि मूल दावे को पुनः नम्बर पर लिया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। वादीगण व प्रतिवादी 1 ता 4 स्व0 जवाना पुत्र हरदेव जाति गुर्जर निवासी सरोली के जायज उत्तराधिकारी तथा वारिसान है, जवाना की कृषि भूमियों पर वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 ता 4 शांति पूर्वक अपने–अपने हिस्से के मुताबिक काबिज है एवं काश्त कर रहे है, जवाना का काफी वर्षो पहले देहान्त हो चुका है।

जवाना का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है :—

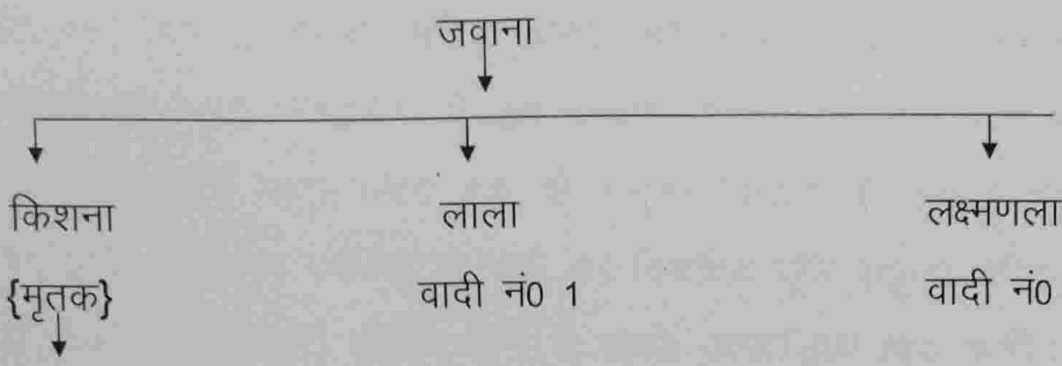


सजरे के मुताबिक जवाना के कुल तीन पुत्र हुए जिसमे किशना सबसे बडा था तथा लाला व लक्ष्मणलाल (वादीगण) छोटे है, जवाना के देहान्त के समय लाला व लक्ष्मण काफी छोटे थे एवं नाबालिग थे, किशना बालिग था तथा परिवार में बडा होने से "कर्ता" था। आराजी ख0नं0 4238 रकबा 0.55 है0, ख0नं0 4239 रकबा 1.96 है0, ख0नं0 4240 रकबा 0.74 है0 किता 3 रकबा 3.25 है0 भूमि वाके ग्राम दूनी तहसील देवली में स्थित है जिसके साबिक ख0नं0 3428 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, ख0नं0 3429 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, ख0नं0 3430 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा किता 3 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा थे ये भूमि सं0 2012 अर्थात राज0 टि0एक्ट 1955 प्रभाव में आने से पूर्व स्व0 जवाना पुत्र हरदेव ने स्वयं ने काफी मेहनत एवं धन खर्च करके नो—तोड कर काबिज काश्त बनाकर तैयार की थी एवं काश्त करना प्रारंभ किया था। जवाना सं0 2014 से पूर्व मर चुका था। यह भूमियां जवाना के अधिकार एवं आधिपत्य की थी। विवादित भूमि ग्राम दूनी में ठिकाना राज सवाई जयपुर में पडती थी जो वर्तमान बन्दोबस्त में भी ग्राम दूनी के माल में स्थित है, सं0 2014 से 2029 के बन्दोबस्त में इस भूमि की खातेदारी जवाना की मृत्यु हो जाने तथा उसकी मृत्यु के समय सबसे बडा पुत्र

किशना होने के कारण बन्दोबस्त विभाग द्वारा त्रुटि से किशना के नाम तनहा रूप से अंकित कर दी गई जब किइस भूमि की खातेदारी जवाना के तीनो पुत्रो के नाम बहिस्सा बराबर अंकित करनी चाहिए थी। वादीगण अपने पिता के देहान्त के समय नाबालिग थे इस कारण किशना जो बडा भाई था वो एवं वादीगण अपनी माता सहित एक ही संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे एवं सहकृषक के बतौर काबिज हो चुके थे। विवादित भूमि संयुक्त परिवार की भूमि है जिस पर वादीगण बालिग होने से लेकर आज तक स्वयं काबिज है, तीनो भाई बहिस्सा बराबर के सहकृषक एवं काबिज खातेदार हो चुके थे किशना की मृत्यु भी वर्षो पहले हो चुकी है, प्रतिपक्षी नं0 1 ता 4 उसके वारिसान है। वादीगण विवादित भूमि में 2/3 तथा प्रतिवादी नं0 1 ता 4 हिस्सा 1/3 हिस्सा पर शांति पूर्वक काबिज है एवं काश्त कर रहे है। किशना ने अपने जीवनकाल में वादीगण को 2/3 भाग पर काबिज रहने तथा काश्त करने में आपत्ति नही की थी। किशना 1/3 हिस्से पर काश्त करता था इस कारण प्रतिवादी नं0 1 ता 4 भी उसी के हिस्से पर काबिज है। दूनी ठिकाना के समय के रिकार्ड उपलब्ध नही है 2/3 हिस्से पर वादीगण काबिज है। हाल सेटलमेंट सं0 2046–65 के दौरान विवादित भूमि की खातेदारी जवाना के तीनो पुत्रो के नाम अंकित करने के बजाय किशना पिता औंकार कोम गुर्जर साकिन सरोली के रूप में अंकित कर दी गई, जबकि ग्राम सरोली में किशना पुत्र औंकार के नाम का कभी कोई व्यक्ति नहीं था ओर न ही कभी रहा नं वर्तमान में इस नाम का व्यक्ति ग्राम सरोली में है। वर्तमान अंकन भी त्रुटिपूर्ण है। विवादित भूमियो में वादीगण का 2/3 तथा प्रतिवादी नं0 1 ता 4 का 1/3 हिस्सा है तथा मौके पर काबिज टिनेन्ट है वादीगण को हिस्सा 2/3 के रिकार्डेड काबिज काश्तकार घोषित करना एवं रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। किशना पुत्र औंकार के स्थान पर हिस्सा 2/3 वादीगण के नाम अंकित करवाना

D/1.24

आवश्यक है। अपने पिता के देहन्त के समय वादी नं0 1 की आयु 12 वर्ष थी तथा वादी नं0 2 की आयु 1 वर्ष थी जिन्होने बालिग होने के पश्चात् तीनो भाईयो ने आपसी सहमति के बाद विभाजन कर लिया था। वर्षो से तीनो अपने-अपने हिस्से की भूमियों पर काबिज चले आ रहे है। वादीगण का इस भूमि के 2/3 भाग पर गत् 12 वर्ष से भी अधिक समय से लगातार शांति पूर्वक कब्जा चला आ रहा है जिनको बेदखल करने का 12 वर्ष का समय समाप्त हो चुका है। धारा 63 सपठित धारा 183 रा0टि0एक्ट के तहत भी वादीगण टिनेन्सी राईट्स प्राप्त कर चुके है। वादीगण का कब्जा प्रतिकूल हो चुका है। प्रतिवादी नं0 1 ता 4 स्व0 किशना के वारिसान है। राजस्व रिकार्ड में किशना पुत्र औंकार गुर्जर के नाम के अंकन का नाजायज रूप से फायदा उठाने की नियत से प्रतिवादी नं0 1 ता 4 वादीगण को जबरन बेदखल करने तथा रिकार्ड में सम्पूर्ण भूमियों की खातेदारी अपने नाम अंकित करवाने पर आमादा है तथा वादीगण के 2/3 हिस्से में काश्त करने में हस्तक्षेप करना चाहते है, रिकार्ड में तन्हा खातेदारी अंकित करवाकर अन्य के हक में रहन, दान, विक्रय करने की धमकी देने लग गये है जबकि प्रतिवादी नं0 1 ता 3 को उक्त कृत्य करने का तन्हा अधिकार प्राप्त नही है। प्रतिवादी नं0 1 ता 4 को हमेशा-हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करना आवश्यक है कि वें स्वयं जरिये एजेन्ट, नौकर या अन्य किसी के माध्यम से वादीगण को विवादित भूमियों के 2/3 कब्जे काश्त तथा उपयोग-उपभोग में हस्तक्षेप नहीं करे, राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके या अन्य किसी तरीके से राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन नहीं कराये, बेदखल नहीं करे, किसी प्रकार अनावश्यक विवाद/व्यवधान उत्पन्न नहीं करे, भूमियों के किसी भू-भाग का अन्य के हक में रहन, दान, विक्रय इत्यादि नहीं करे, अन्यथा वादीगण को अपार, अपरिमित हानि होगी, कई प्रकार के लडाई-झगडे होगे, शांतिभंग होगी, मुकदमेबाजी बढेगी वादीगण बर्बाद हो जायेगें। बिनाय दावा उस

समय उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी नं0 1 ता 4 ने जबरन ताकत के बल पर वादीगण को विवादित भूमि के 2/3 हिस्से से बेदखल करने/गैर कानूनी रूप से तन्हा स्वयं का अधिकार प्रदर्शित करने, राजस्व रिकार्ड में अपने नाम संशोधन करवाकर अंकित करवाने व खुर्द-बुर्द करने की धमकी दी तथा वादीगण को त्रुटिपूर्ण अंकन की पुख्ता जानकारी हुई। भूमियां ग्राम दूनी तहसील देवली में स्थित है जिनके संबंध में प्रस्तुत वाद का माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है।तहसीलदार को लेण्ड होल्डर होने से वाद पत्र में पक्षकार बनाया है।दावा अ0 धारा 88, 92-ए, 188 रा0टि0एक्ट 1955 उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद पेश है। वादीगण की ओर से विवादित भूमियों के संबंध माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रथम वाद पत्र है, वाद पत्र के साथ शपथ पत्र तथा अन्य संबंधित/आवश्यक राजस्व रिकार्ड की नकले इत्यादि संलग्न है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की ओर से जवाब दावा पेश किया जो इस प्रकार है:- वाद पत्र का चरण नं0 1 में प्रतिवादी नं0 1 ता 4 स्व0 जवाना पुत्र हरदेव जाति गुर्जर निवासी सरोली के वारिस होना स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं0 2 में पारिवारिक सजरा सही है। शेष तथ्य गलत है। वाद पत्र के चरण नं0 3 में वर्णित ख0नं0 के साबिक ख0नं0 होना स्वीकार है। परन्तु उक्त भूमि कभी भी स्व0 जवाना पुत्र हरदेव के कब्जे काश्त की नही थी, ना ही उक्त भूमि उन्होने मेहनत या धन खर्च कर काबिज काश्त तैयार की और उक्त भूमि कभी भी जवाना पुत्र हरदेवा के अधिकार, आधिपत्य एवं राजस्व रिकार्ड में नही रही है। बल्कि उक्त भूमि शुरू से ही किशना पुत्र जवाना उर्फ औंकार की थी जो स्वयं किशना पुत्र जवाना उर्फ औंकार के कब्जे काश्त एवं आधिपत्य में रही

एवं उनके स्वर्गवास के पश्चात् से ही प्रतिवादी नं0 1 ता 4 के कब्जे काश्त में चली आ रही है। वाद पत्र चरण नं0 4 जिस तरह से वर्णित किया गया है, गलत है, अस्वीकार है। (क) विवादित भूमि कभी भी जवाना के कब्जे व आधिपत्य की नही थी और ना ही इसकी खातेदारी की थी। इसलिए बंदोबस्त विभाग द्वारा कोई त्रुटि नही की गई है। बल्कि उक्त भूमि शुरू से ही किशना पुत्र जवाना उर्फ औंकार की खातेदारी व कब्जे काश्त की थी व किशना की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि प्रतिवादी नं0 1 ता 4 की कब्जे काश्त की है। जिसकी खातेदारी विरासत म्यूटेशन के आधार पर प्रतिवादी नं0 1 ता 4 के नाम होनी चाहिए। (ख) विवादित भूमि कभी भी संयुक्त परिवार की भूमि नही रही है और ना ही वादीगण विवादित भूमि पर काबिज है और ना ही उनका कोई हक–हिस्सा है। इसलिए व सहकृषक व खातेदार नही है और ना ही उनका विवादित भूमि पर 2/3 हक हिस्सा है ना ही वे काश्त कर रहे है। प्रतिवादीगण नं0 1 ता 4 के पिता किशना के जीवनकाल में सम्पूर्ण भूमि पर उनके पिता किशना काबिज रहे है और वादीगण का कभी कब्जा–काश्त नही रहा। प्रतिवादीगण नं0 1 ता 4 के पिता किशना के स्वर्गवास के पश्चात् प्रतिवादी नं0 1 ता 4 उक्त विवादित भूमि के सम्पूर्ण हिस्से पर काबिज है। वाद पत्र चरण नं0 5 जिस तरह से वर्णित किया गया है, गलत है, अस्वीकार है। (क) सेटलमेंट के दौरान प्रतिवादीगण नं0 1 ता 4 के पिता किशना पुत्र जवाना उर्फ औंकार ही उक्त विवादित जमीन का खातेदार–काश्तकार थे। इसलिए सेटलमेंट अधिकारियों ने प्रतिवादीगण नं0 1 ता 4 के पिता किशना पुत्र जवाना उर्फ औंकार के नाम ही खातेदारी अंकित करनी चाहिए थी, जो भूलवश केवल किशना पुत्र औंकार का नाम अंकित रह गया। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। (ख) प्रतिवादीगण नं0 प्रतिवादीगण नं0 1 ता 4 के पिता किशना पुत्र जवाना उर्फ औंकार व किशना पुत्र औंकार दोनो एक ही व्यक्ति है और उक्त किशना पुत्र जवाना उर्फ

6, 24

औंकार का स्वर्गवास हो चुका है और प्रतिवादी नं0 1 ता 4 उसके वारिसान है और विवादित आराजीयात पर प्रतिवादी नं0 1 ता 4 काबिज है इसलिए वादीगण का विवादित आराजीयात में 2/3 हिस्सा या अन्य कोई हक हिस्सा नही है। इसलिए वादीगण 2/3 हिस्से के खातेदार घौषित कराने के अधिकारी नही है। बल्कि उक्त आराजीयात प्रतिवादी नं0 1 ता 4 के पिता किशना पुत्र जवाना उर्फ औंकार की होने के कारण उनके स्वर्गवास के पश्चात् विरासत के आधार पर अपने नाम म्यूटेशन खुलाने के अधिकारी है। वाद पत्र का चरण नं0 6 जिस तरह से वर्णित किया गया है, गलत है, अस्वीकार है। (क) वादीगण ने जानबूझकर अपनी उम्र व अपंने पिता के स्वर्गवास की तिथि दिनांक अंकित नहीं की। (ख) वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 ता 4 के पिता ने कभी भी आपसी सहमति से विवादित आराजीयात का विभाजन नही किया। बल्कि उक्त आराजीयात शुरू से प्रतिवादीगण नं0 1 ता 4 के पिता के कब्जे–स्वामित्व में रही व उनके स्वर्गवास दिनांक 21.08.1988 के पश्चात् से ही आराजीयात प्रतिवादी नं0 1 ता 4 के कब्जे –स्वामित्व में चली आ रही है। इसलिए वादीगण किसी भी रूप से टिनेन्सी राईट्स प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है और ना ही वादीगण का विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त रहा है, इसलिए उन्हे कोई विवादित आराजीयात पर किसी तरह का अधिकार प्राप्त नही है। वाद पत्र का चरण नं0 7 जिस तरह से वर्णित किया गया है, अस्वीकार है। वादीगण का विवादित आराजीयात पर कभी कब्जा नही रहा है और ना ही उनका कोई 2/3 हिस्सा है। इसलिए वादीगण द्वारा 2/3 हिस्से में काश्त करने में हस्तक्षेप करने वाली बात गलत वर्णित की है। बल्कि उक्त आराजीयात प्रतिवादी नं0 1 ता 4 के स्वामित्व एवं कब्जे–काश्त की है। इस कारण प्रतिवादीगण 1 ता 4 अपने नाम राजस्व रिकार्ड में किशना पुत्र जवाना उर्फ औंकार की मृत्यु होने से उनके वारिसान होने के आधार पर अपने नाम खातेदारी में अंकित करवाने के अधिकारी

है। वाद पत्र का चरण नं0 8 जिस तरह से वर्णित किया गया है, गलत है, अस्वीकार है। वादीगण का विवादित भूमि पर 2/3 या अन्य किसी हिस्से पर कब्जा–काश्त नहीं होने के कारण वादीगण प्रतिवादी नं0 1 ता 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध करवाने के अधिकारी नहीं है। वादीगण कोई हक–अधिकार नहीं होने के कारण अपूर्णीय क्षति नही है और उन्हे वाद पेश करने का कोई अधिकार नही है। वाद पत्र का चरण नं0 9 जिस तरह से वर्णित किया गया है, गलत है, अस्वीकार है। वादीगण ने इस चरण में कही भी यह वर्णित नहीं किया कि प्रतिवादी नं0 1 ता 4 ने जबरन ताकत के बल पर उन्हें कब बेदखल करने की धमकी दी व खुर्द–बुर्द करने की धमकी दी। इस प्रकार वादीगण को कोई बिनाय दावा उत्पन्न नही है। वाद पत्र का चरण नं0 10 कानूनी है। जवाब की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र का चरण नं0 11 में तहसीलदार को पक्षकार बनाना स्वीकार है। परन्तु तहसीलदार राजकीय अधिकारी है और उनके विरूद्ध कोई वाद पेश करने से पूर्व कानूनन राजस्थान राज्य को पक्षकार बनाना आवश्यक है तथा साथ ही दो माह का कानूनी नोटिस दावा पेश करने से पूर्व देना आवश्यक है। इस सभी के अभाव के कारण उक्त वाद कानूनन पोषनीय नहीं है। वादीगण ने विधिसम्मत वाद पेश नहीं किया है। इसलिए इन बिन्दुओं पर ही उक्त वाद प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। वाद पत्र का चरण नं0 12 जिस तरह से वर्णित किया गया है, गलत है, अस्वीकार है। वाद पत्र के चरण नं0 4 के अनुसार बंदोबस्त अधिकारियों द्वारा विवादित आराजीयात प्रतिवादी नं0 1 ता 4 के पिता के नाम अंकित करने वाद पत्र के चरण नं0 5 के अनुसार सेटलमेंट के दौरान किशना पुत्र औंकार के नाम अंकित होने के आधार पर उक्त वाद मियाद बाद पेश किया। इसलिए वाद अंदर मियाद नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण विवादित भूमि के संबंध में इस चरण में वर्णित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

वादीगण का वाद मय हर्जे–खर्चे खारिज फरमाये जाने योग्य है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद मय हर्जे–खर्चे खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली में तनकियात बिन्दू कायम कर सुनाये गये।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियम की गई।

वादीगण असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर पत्रावली अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज की गई।

वादीपक्ष द्वारा न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध माननीय न्यायालय आर.ए.ए में अपील पेश की।

पत्रावली माननीनय न्यायालय से प्राप्त होने के बाद पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर पुनः प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 व 4 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहे।

प्रतिवादीगण संख्या 3 द्वारा वादीगणो के हस्ताक्षर सहित राजीनामा पेश किया जो इस प्रकार हैः– उपरोक्त उनवानी प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादी सं0 3 के मध्य आपसी सहमति एवं राजी खुशी से सद्भावना पूर्वक राजी नामा हो गया है। आराजी ख0नं0 4238 रकबा 0.55 है0 ख0नं0 4239 रकबा 1.96 है0, ख0नं0 4240 रकबा 0.74 किता तीन रकबा 3.25 है0 वाके ग्राम दूनी तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है। यह भूमि सं0 2012 से पहले स्व0 जवाना पुत्र हरदेव जाति गुर्जर निवासी सरोली ने स्वयं ने काफी मेहनत व धन खर्च करके काबिल काश्त बनाई थी तथा काश्त करना प्रारंभ कर दिया था जवाना का सं0 2014 से पूर्व देहान्त हो चुका था है उक्त भूमि उसके अधिकार व आधिपत्य की है तथा उसके द्वारा छोडी हुई कृषि भूमि है। जवाना के तीन पुत्र किशना, लाला व लक्ष्मण लाल हुए जिनका अपने पिता जवाना की मृत्यु के

बाद से ही उक्त वर्णित भूमि में बहिस्सा बराबर अधिकार व आधिपत्य चला आ रहा है जवाना की मृत्यु के समय वादीगण नाबालिग थे तथा किशना सबसे बडा पुत्र था सं0 2014 से 2029 के बंदोबस्त में उक्त भूमि की खातेदारी किशना के नाम अंकित कर दी गई, किशना वादीगणो का बडा भाई था तथा प्रतिवादी सं0 3 का पिता था। प्रतिवादी नं0 1, 2 व 4 भी किशना के वारिसान है। उक्त भूमि पर मौके पर वर्षो से वादीगण व किशना बहिस्सा बराबर काबिज चले आ रहे थे वादीगण का 2/3 हिस्सा व किशना का 1/3 हिस्सा है किशना की मृत्यु हो चुकी है। उसके मरने के बाद उसके वारिसान उक्त 1/3 हिस्से पर काबिज है। इसी प्रकार पक्षकारान काबिज है एवं काश्त कर रहे है राजस्व रिकार्ड में सहवन से किशना पुत्र जवाना के बजाय सहवन से राजस्व कर्मचारियों ने किशना पुत्र औंकार जाति गुर्जर के रूप में खातेदारी की अंकन करा दिया गया जबकि किशना पुत्र औंकार के नाम का ग्राम सरोली में कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि किशना पुत्र जवाना था जो वादीगण का सगा बडा भाई एवं प्रतिवादी सं0 1 का पति, प्रतिवादी सं0 2 ता 4 का पिता था। उक्त वर्णित भूमि जवाना के तीनो पुत्रो लाला, लक्ष्मणलाल व किशना के नाम बहिस्सा बराबर अंकित की जानी चाहिए थी वर्तमान में किशना पुत्र औंकार गुर्जर का अंकन त्रुटिपूर्ण है एवं दुरूस्त करने योग्य है। इस भूमि में वादीगण का हिस्सा 2/3 तथा 1/3 हिस्सा किशना के वारिसान प्रतिवादी नं0 1 ता 4 के नाम दर्ज करने में हक दोनो पक्ष सहमत है। इस संबंध में वादीगण व प्रतिवादी सं0 3 के बीच राजीनामा हो चुका है। राजस्व रिकार्ड में वादीगण का 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी 1 ता 4 का 1/3 हिस्सा अंकित करने के लिए प्रस्तुत दावा डिक्री कर दिया जावे वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने मौके पर मौखिक रूप से विभाजन कर रखा है, 2/3 हिस्से पर वादीगण व 1/3 हि0 पर प्रतिवादी सं0 1 ता 4 मौखिक बंटवारे के अनुसार ही काबिज चले आ रहे है। वादीगण व प्रतिवादी नं0 3 के मध्य उक्त

भूमि को लेकर अब कोई विवाद शेष नही रहा है प्रतिवादी नं0 3 अब वादीगण से उक्त भूमि को लेकर किसी प्रकार का विवाद नहीं करेगा तथा प्रतिवादी सं0 3 किशना पुत्र औंकार गुर्जर के नाम का किसी प्रकार दुरूपयोग नहीं करेगा तथा वादीगण के 2/3 हिस्से में कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार हस्तक्षेप व रूकावट पैदा नही करेगा दोनो पक्ष इस राजीनामें में पाबंध रहेंगे तथा भविष्य में उक्त भूमि के बारे में यदि कोई भी विवाद उत्पन्न होगा तो इस राजीनामे की रूह से विवाद झूठा होगा। यह राजीनामा दोनो पक्षो की राजी खुशी आपसी सहमति बिना किसी दबाव बिना नशे पते स्वस्थचित, मन मस्तिष्क से सोच समझकर पढ सुन कर तहरीर करवाया गया है एवं दोनो पक्षो ने अपने हस्ताक्षर कर दिये है। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजीनामा स्वीकार कर तस्दीक किया जावे तथा राजीनामे के मुताबिक आराजी ख0नं0 4238 रकबा 0.55 है0, ख0नं0 4239 रकबा 1.96 है0, ख0नं0 4240 रकबा 0.74 है0 किता 3 रकबा 3.25 है0 वाके ग्राम दूनी तह0 देवली में वादीगण का 2/3 हि0 व प्रतिवादी नं0 1 ता 4 का 1/3 हिस्सा घोषित करने रिकार्ड में दुरूस्ती करने के लिए दावा डिक्री किया जावे।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 लक्ष्मण लाल पुत्र श्री जुवाना गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक, पी. डब्ल्यू–2 रामराज पुत्र हरजी राम जाति जाट निवासी तेलोलाई तहसील दूनी जिला टोंक, पी. डब्ल्यू–3 हीरा पुत्र प्रयागा जाति गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक व पी. डब्ल्यू–4 लक्ष्मण पुत्र मन्ना लाल जाट निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक के पेश किये।

B.D.S

पी. डब्ल्यू–1 से 4 ने अपने शपथ पत्रो में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए वाद का समर्थन किया।

पी. डब्ल्यू–1 ने प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार है:– प्रदर्श P-1 – जमाबंदी सम्वत् 2062 से 65 प्रदर्श P-2 – पास बुक जारी वर्ष 2049 खाता संख्या 28 प्रदर्श P-3 – नकल पर्चा लगान अवधि बन्दोबस्त से 2046–65 खर्चा लागत प्रदर्श P-4 – खतोनी बंदोबस्त संवत 2014–20 प्रदर्श P-5 – जमाबंदी रजिस्टर प्रदर्श P-6 – खसरा पत्रक, प्रदर्श P-7 व 8 – मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श P-9 – खसरा गिरदावरी सम्वत् 2008, प्रदर्श P-10 एफ.आई.आर दिनांक 18.11.88, प्रदर्श P-11 – FIR 18-11-88 , प्रदर्श P-12 – प्रा.पत्र बाबत् सुपुर्दगी, प्रदर्श पी. 13 रिपोर्ट आखरी दिनांक 24.11.88, प्रदर्श P-14 – T.C. मूल रा.प्रा.वि. दूनी दिनांक 22.4.10, प्रदर्श P-15 – जमाबंदी खाता संख्या 2062 से 65, प्रदर्श P-16 – पर्चा लगान प्रदर्श P-17 पानड़ी, प्रदर्श P-18 – डुप्लीकेट डिस्चार्ज सर्टिफिकेटप्रदर्श P-19 – चालान रू0 40/–, प्रदर्श P-20 – मतदाता सूची पंचायत जूनिया वर्ष 1992 पेश किये है।

तहसीलदार दूनी ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:– चरण संख्या 1 वादी से सम्बन्धित है। चरण संख्या 2 सिद्ध करने का भार वादी पर है। चरण संख्या 3 रिकॉर्ड अनुसार आंशिक स्वीकार है। चरण संख्या 4 कानूनी प्रक्रिया के बिन्दू है, जो न्यायालय से सम्बन्धित है, शेष इबारत का भार वादी पर है। चरण संख्या 5 अस्वीकार है। चरण संख्या 6 कानूनी प्रक्रिया के बिन्दू है, जवाब की आवश्यकता नहीं है। चरण संख्या 7 न्यायालय से संबंधित है। चरण संख्या 8 पक्षकार से सम्बन्धित है। चरण संख्या 9, 10, 11, 12, 13 कानूनी है, न्यायालय से सम्बन्धित है। वादी ने स्वयं वाद में तहसीलदार को फोरमल पक्षकार बताया है। मुताबिक पटवारी हल्का सरोली, (जूनियां) उंकार

नाम को कोई व्यक्ति सरोली में नहीं है, अर्थात किशना पि. उंकार कोई नहीं है। किशना पि0 जवाना अवश्य है। जवाब वास्ते कार्यवाही सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद मिमो के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि पत्रावली में माननीय न्यायालय आर.ए.ए के निर्देशानुसार प्रकिया दोहरायी गई है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 व 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई है। प्रतिवादी संख्या 3 ने राजीनामा पेश किया है जिसमें वाद के तथ्यो को स्वीकार करते हुए वाद को डिक्री करने की प्रार्थना की है। वादी ने कथन किया कि हाल ख. नं. 4238, 4239, 4240 जवाना की भूमि थी जो जवाना के तीनो पुत्रो के नाम आनी चाहिए थी परन्तु राजस्व कर्मचारियो/ सेटलमेंन्ट कर्मचारियों ने केवल जवाना के बड़े पुत्र किशना के नाम कर दी और किशना के फोत होने के बाद किशना के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम नामान्तकरण खुल गया और वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में यह भूमि प्रतिवादीगण के नाम होने से वादीगण इससे कोई सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं उठा पा रहे है। सेटलमेंन्ट के समय ही सहवन से किशना पुत्र जवाना के स्थान पर किशना पुत्र उंकार राजस्व रिकॉर्ड में कर दिया जबकि किशना पुत्र उंकार नाम का कोई व्यक्ति ग्राम सरोली में ही नहीं है। तहसीलदार रिपोर्ट में भी यही बताया गया है। अतः वाद वादीगण के पक्ष में डिक्री किया जावे और किशना पुत्र उंकार का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे।

**तनकीवार निर्णय**

1. **आया वादी पक्ष विवादित भूमि ख0नं0 4238/0.55 है0, 4239/1.96 है0, 4240/0.74 है0 कुल 03 किता कुल रकबा 3.25 है0 ग्राम दूनी स्थित भूमि के 2/3 हिस्से की खातेदारी अपने नाम घोषित करवाने, किशना पुत्र औंकार का नाम विलोपित करवाने व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध करवाने के हकदार है।** –वादीगण–

तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादी पर था। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श–9 खसरा गिरदावरी मोजा दूनी सम्वत 2008 में जवाना पुत्र हरदेवा गुर्जर के नाम ख. नं. 2991, 2992, 2993, व 2994 में काश्तकारी दर्ज है। प्रदर्श–8 मिलान क्षैत्रफल भू –प्रबन्ध विभाग सम्वत 2014–29 में पुराने ख. नं. 2990, 2991 व 2992 से ख. न. 3430 व अन्य ख. नं., पुराने ख. नं. 2989, 2990, 2993, व 3000 से ख. नं. 3429 व अन्य ख. नं., पुराने ख. नं. 2993, व 3000 से ख. नं. 3428 व अन्य ख. नं. बनना दर्शित है। प्रदर्श–7, मिलान क्षैत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत 2046–65 ग्राम दूनी में साबिक ख. न. 3429 मी. व 2430 मी. से हाल ख. नं. 4238 साबिक ख. नं. 3429 मी., 3428 मी. व 3430 मी. से हाल ख. नं. 4239 व साबिक ख. नं. 3428 मी. व 3430 मी. से हाल ख. नं. 4240 बने है। भू–प्रबन्ध विभाग का खसरा पत्रक नियम 26 प्रदर्श–5 व पर्चा लगान प्रदर्श–3 सम्वत 2046–65 व पास बुक वर्ष 2049 प्रदर्श–2 व जमाबन्दी सम्वत 2062–65 में ख. नं. 4338, रकबा 0.55 है0, 4239 रकबा 1.96 है0 व ख. नं. 4240 रकबा 0.74 है0 में कॉलम संख्या 4 व अन्य में में खातेदार के नाम में किशना पुत्र औंकार कोम गुर्जर सा0 सरोली खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 3 व वादीगण द्वारा पेश राजीनामा के अनुसार वाद वर्णित विवादित आराजी भूमि पूर्व में जुवाना की भूमि थी । जुवाना के फोत होने के बाद यह विवादित भूमि केवल किशना पुत्र उंकार के नाम गलत दर्ज होने के साथ ही किशना के पिता का नाम जुवाना के स्थान पर उंकार दर्ज कर दिया जबकि किशना के पिता का नाम जुवाना था । उक्त भूमि पर जुवाना के तीनो पुत्रो का कब्जा काश्त चला आ रहा था। बाद में जुवाना के तीन पुत्रो में से किशना व लक्ष्मण भी फोत हो गये परन्तु पूर्व में उक्त आराजी किशना के नाम होने से वर्तमान में किशना के वारिसान

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त प्रदर्श यह जाहिर होता है कि उक्त भूमि भू-प्रबन्ध से पूर्व जुवाना पुत्र हरदेवा की थी जो बाद सेटलमेन्ट किशना पुत्र ओंकार के नाम दर्ज हो गई और लगातार चली आ रही है। भू-प्रबन्ध विभाग का पर्चा लगान खाता नं. 13 में किशना, लाला, लक्ष्मण पुत्र जुवाना कोम गुंर्जर का नाम दर्ज रिकॉर्ड है। इसी तरह प्रदर्श-17 पानड़ी राज्य बून्दी में जुवान्या पुत्र हरदेव जाति गुर्जर है। प्रदर्श-20 पंचायत मतदाता सूची, 1992 में किशनलाल पुत्र जुवाना का नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श-15 जमाबन्दी सम्वत 2062-65 में किशना लाला लक्ष्मण पि0 जुवाना कोम गुर्जर का नाम कॉलम संख्या 4 में दर्ज रिकॉर्ड है। माननीय न्यायालय आर. ए. ए से प्रतिप्रेंषित होने के बाद निर्देशानुसार प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 व 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। इससे प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 व 4 की उक्त वाद में मूक सहमति है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में इस तथ्य पर सहमति व्यक्त की है कि वादीगण द्वारा पेश सजरा सही है। तहसीलदार दूनी के जवाब अनुसार किशना पि0 उंकार कोई नहीं है। किशना पि0 जुवाना अवश्य है। इससे स्पष्ट है कि बाद सेटलमेंट उक्त वाद वर्णित आराजी को गलती से जुवाना के पुत्रो में से केवल बड़े पुत्र किशना के नाम लगा दिया गया जबकि जुवाना के तीनो पुत्रो उक्त विवादित आराजी में 1/3-1/3 के हकदार थे । जुवाना के दो पुत्रो लाला व फोती लक्ष्मण ने अपने अपने हिस्सेनुसार वाद वर्णित आराजी में उद्घोषणा व पिता का नाम उंकार के स्थान पर जुवाना करवाने हेतु वाद पेश किया। वाद को वादीगण ने दस्तावेज व राजीनामा के माध्यम से बखुबी साबित किया है।

2. **आया प्रतिवादीगण विवादित जमीन पर कदीमी कब्जा काश्त चले आ रहे है ? प्रस्तुत दावा न्यायोचित नहीं है ?**

**-प्रतिवादीगण-**

तनकी नं. 2 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने इसे तनकी के पक्ष में जवाब के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये है। बल्कि प्रतिवादीगण संख्या 3 व वादीगण ने अपने राजीनामा दिनांके 04.06.2013 में वादीगण का 2/3 हिस्सा माना है। अतः इस तनकी का निर्णय विरूद्ध प्रतिवादीगण किया जाता है।

तनकीवार विवेचन से निर्णय/आदेशः-हाल ख. नं. 4238, रकबा 0.55 है0, 4239 रकबा 1.96 है0 व ख. नं. 4240 रकबा 0.74 है0 वाके ग्राम दूनी तहसील दूनी में वादीगण को हिस्सा 2/3 हिस्से का प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को 1/3 हिस्से का खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में घोषित किया जाता है और किशना पुत्र औंकार गुर्जर के राजस्व रिकॉर्ड में अंकन को विलोपित किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

**(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)**

**अज अदालत उपखण्ड अधिकारी........................................................................................मुकाम देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक ...............................**

उनवानी दावा :

1. लाला पुत्र जवाना जाति गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी
2. ~~लक्ष्मणलाल पुत्र जवाना जाति गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी~~ {मृतक}

2/1. हीरा देवी पत्नी लक्ष्मणलाल जाति गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी
2/2. अरविन्द पुत्र लक्ष्मणलाल जाति गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी
2/3. विमलेश पुत्री लक्ष्मणलाल जाति गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक

**–वादीगण–**

**बनाम**

1. किस्तुरी पत्नी स्व. किशना जाति गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक
2. पृथ्वीराज पुत्र स्व. किशना जाति गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक
3. प्रकाश पुत्र स्व. किशना जाति गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक
4. राजाराम पुत्र स्व. किशना जाति गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक
5. तहसीलदार देवली/दूनी जिला टोंक

**– प्रतिवादीगण–**

**<u>दावा बाबत उद्घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>**

**मुकदमा नं. 28 सन् 2012**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री आलोक कुमार शर्मा अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 व 6 व राजीनामा प्रतिवादी संख्या 3 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व एकपक्षीय डिक्री दी जाती है कि

**आदेश**

हाल ख. नं. 4238, रकबा 0.55 है0, 4239 रकबा 1.96 है0 व ख. नं. 4240 रकबा 0. 74 है0 वाके ग्राम दूनी तहसील दूनी में वादीगण को हिस्सा 2/3 हिस्से का प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को 1/3 हिस्से का खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में घोषित किया जाता है और किशना पुत्र औंकार गुर्जर के राजस्व रिकॉर्ड में अंकन को विलोपित किया जाता है।

ो.................................................मुवलिक.............................................बाबत् ..................................................
.......................खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .............................. फीसदी सालना आज की ारीख वसूलियाकि तक ............... की अदा करें।
बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02 माह 09 सन् 2022 को जारी किया गया।

दस्तखत .............................................

मुहर

ओहदा .............................................

| मुददई | रू. | पै. | मुद्दायलह | रू. | पै. |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प अदालत नामा | | | स्टाम्प अदालत | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | मेहनतान वकील | | |
| मेहनतान वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत् इजरायहुक्मनामा | | |
| बाबत् इजरायहुक्मनामा | | | अन्य मिजान | | |
| अन्य | | | | | |
| मिजान | | | | | |

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए